



# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.

## सुनहरी मौका

उ. प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग के 13वें संशोधन के अन्तर्गत एकल बिन्दु के संयोजनों को बहु बिन्दु पर किये जाने के सम्बन्ध में।

सम्मानित उपभोक्तागण, (शुद्धी संलग्न)

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपकी सोसायटी/बिल्डर को उ. प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग के 13 वें संशोधन के अन्तर्गत एकल बिन्दु के संयोजनों को बहु बिन्दु के संयोजन में परिवर्तन करने हेतु नोटिस भेजी गई थी, किन्तु आपकी सोसायटी/बिल्डर द्वारा संयोजन एकल बिन्दु से बहु बिन्दु पर करने हेतु सहमति नहीं प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आपके संज्ञानार्थ निम्नवत् प्रेषित है :-

1. एकल बिन्दु से बहु बिन्दु पर संयोजन परिवर्तन हेतु आधारभूत ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन पर होने वाला व्यय बिल्डर/सोसायटी द्वारा वहन किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक फ्लैट के स्वतंत्र मालिक द्वारा अपने फ्लैट हेतु स्वतंत्र विद्युत संयोजन सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय से प्राप्त कराया जायेगा।
2. स्वतंत्र विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु वर्तमान में लागू दरें निम्नवत् सारणी के अनुसार हैं।-

| नये संयोजन हेतु जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण               |           |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| एल.एम.वी.-1 विधा ( शहरी, घरेलू, पंखा एवं बत्ती का प्रयोग हेतु) |           |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| धनराशि का विवरण  | 01 कि.वा. | 2 कि.वा. | 3 कि.वा. | 4 कि.वा. | 5 कि.वा. | 6 कि.वा. | 7 कि.वा. | 8 कि.वा. | 9 कि.वा. | 10 कि.वा. |
| प्रोसेसिंग फीस (पी.एफ.)  | 50        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100       |
| सिक्वोरिटी जमा धनराशि (एस.डी.)                                 | 300       | 600      | 1200     | 1600     | 2000     | 2400     | 2800     | 3200     | 3600     | 4000      |
| फिक्स लाइन चार्ज (एल.सी.)                                      | 398       | 398      | 398      | 398      | 2036     | 2036     | 2036     | 2036     | 2036     | 2036      |
| मीटर की धनराशि (एम.सी.)  | 872       | 872      | 872      | 872      | 2921     | 2921     | 2921     | 2921     | 2921     | 2921      |
| कुल धनराशि   | 1620      | 1970     | 2570     | 2970     | 7057     | 7457     | 7857     | 8257     | 8657     | 9057      |
| जी.एस.टी. (पी.एफ.)<br>+(एल.सी.+एम.सी.)<br>का 18 प्रतिशत        | 238       | 247      | 247      | 247      | 911      | 910      | 910      | 910      | 910      | 910       |
| सम्पूर्ण धनराशि  | 1858      | 2217     | 2817     | 3217     | 7968     | 8367     | 8767     | 9167     | 9567     | 9967      |

3. उपभोक्ताओं को जागरूक करने के दृष्टिगत अवगत कराना है कि सामान्यतः एकल बिन्दु के संयोजनों में स्वीकृत भार 75 कि.वा. अथवा अधिक होने पर बिलिंग एच.वी.-13 विधा में की जाती है। बहु बिन्दु पर संयोजन लेने की स्थिति में यह बिलिंग एल.एम.वी.-1 विधा में की जायेगी। वर्तमान में लागू दर सूची 2019-20 के अनुसार निम्नवत् सारणी के अनुसार विद्युत मूल्य देय है-

| खपत यूनिट में | एल.एम.वी.-1 विधा में टैरिफ के अनुसार बिल |   | एच.वी.-13 विधा में टैरिफ के अनुसार बिल |  |
|---------------|--|---|--|--|
|               | विद्युत मूल्य                            | फिक्स चार्ज+विद्युत कर  | विद्युत मूल्य                          | फिक्स चार्ज+विद्युत कर   |
| 150           | 825.00                                   | फिक्स चार्ज : रु.<br>110 / कि.वा. / प्रतिमाह<br>विद्युत कर : विद्युत मूल्य एवं<br>फिक्स चार्ज पर 05 प्रतिशत | 1155.00                                | फिक्स चार्ज : रु.<br>380 / कि.वा. / प्रतिमाह<br>विद्युत कर : विद्युत मूल्य एवं<br>फिक्स चार्ज पर 7.5 प्रतिशत |
| 300           | 1725.00                                  |   | 2310.00                                |  |
| 500           | 3025.00                                  |   | 3850.00                                |  |
| 1000          | 6525.00                                  |   | 7700.00                                |  |
| 3000          | 20525.00                                 |   | 23200.00                               |  |

उपर्युक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु आपकी सोसायटी में .....  
कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि कैम्प में उपस्थित होकर इस योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त संतुष्ट होने की अवस्था में आपकी सोसायटी द्वारा वर्तमान एकल बिन्दु के संयोजन को बहु बिन्दु पर करने हेतु सहमति एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना अपेक्षित होगा।

अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय  
मथुरा/वृन्दावन/कृष्णा नगर

| क्र०सं०  | बिल्डर का नाम/पता   | विद्युत भार  |
|--|---|--------------|
| <b>अ- विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम, मधुरा</b>      |   |              |
| 1  | श्री मयंक अग्रवाल, पुष्पांजली उपवन, मौजा महोली, नियर लाजपत मधुरा                    | 200 कि०वा०   |
| 2  | श्री अरूण कुमार अग्रवाल, शान्ती अपार्टमेंट, 2121, डेम्पीयर नगर, मधुरा               | 36 कि०वा०    |
| <b>ब- विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय, वृन्दावन</b> |   |              |
| 3  | श्री तुलसीदास शर्मा, निम्बार्क रूदन, कैमारवन वृन्दावन                               | 45 कि०वा०    |
| 4  | श्री परवेज आलम (अधिकृत प्रतिनिधि), पारस प्राइड, रूकमनी विहार, वृन्दावन              | 350 कि०वा०   |
| 5  | श्री मार्तण्ड देव, संस्कार मिटी, रूकमनी विहार, वृन्दावन                             | 90 कि०वा०    |
| 6  | श्री विजय कुमार रिणवा, वृज विलास, चैतन्य विहार, वृन्दावन                            | 45 कि०वा०    |
| 7  | श्री श्याम सुन्दर बंसल, मन्दाकनी, केशव धाम रोड, वृन्दावन                            | 450 कि०वा०   |
| 8  | श्री मेघश्याम बाण्येय, अनंशा हाऊसिंग, प्रेम मन्दिर के सामने, वृन्दावन               | 100 कि०वा०   |
| 9  | श्री सोमदत्त शर्मा, गिराज छाया, शीतल छाया, वृन्दावन                                 | 48 कि०वा०    |
| 10   | श्रीमती आरती अग्रवाल, ललिता अपार्टमेंट, गुरुकुल मार्ग, वृन्दावन                     | 60 कि०वा०    |
| 11   | श्री अनिल अग्रवाल, चसेरा रेजिडेन्स (गणपति इनफीनिटी), छटीकरा रोड, वृन्दावन           | 630 कि०वा०   |
| 12   | श्री हितेश शर्मा, ओपेक्सा इटर्निटी, छटीकरा रोड, वृन्दावन                            | 2700 कि०वा०  |
| 13   | श्री सुनिल तिवारी, एन०आर०आई० ग्रीन्स, सुनरख रोड, वृन्दावन                           | 300 कि०वा०   |
| 14   | श्री मयंक अग्रवाल, पुष्पांजली बैकड फेस-1, वृन्दावन                                  | 300 कि०वा०   |
| 15   | श्री मयंक अग्रवाल, पुष्पांजली बैकड फेस-2, वृन्दावन                                  | 200 कि०वा०   |
| 16   | श्री संदीप अरोडा, श्री कृष्णा शरणम्, छटीकरा रोड, वृन्दावन                           | 500 कि०वा०   |
| 17   | श्री मुकेश सारस्वत, राधा निकुन्ज, प्रेम मन्दिर के सामने, वृन्दावन                   | 80 कि०वा०    |
| 18   | श्री कपिल देव उपाध्याय, नन्दन कानन, आश्रम विहार, वृन्दावन                           | 84 के०वी०ए०  |
| 19   | श्रीमती अरिप जिदल, सेन्चूरी हॉस्पिटैलिटी, रमण रेती, वृन्दावन                        | 84 के०वी०ए०  |
| 20   | श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी, मेघश्याम अपार्टमेंट, रमण रेती, वृन्दावन                | 75 कि०वा०    |
| 21   | श्री गौरव मित्तल, कृष्णा लोक, जैत, वृन्दावन   | 223 कि०वा०   |
| 22   | श्री मार्तण्ड देव, गऊ लोक धाम, सुनरख बाँगर, वृन्दावन                                | 100 कि०वा०   |
| 23   | श्री आर० सी० गोयल, हरे कृष्णा आर्चिड, सुनरख रोड, वृन्दावन                           | 600 कि०वा०   |
| 24   | श्री घुरियामल, वेदांत कृष्णा पैराडाइज, राधा टीला के सामने, परिक्रमा मार्ग, वृन्दावन | 10 कि०वा०    |
| 25   | जे०के० ट्रस्ट, छटीकरा, वृन्दावन   | 75 कि०वा०    |
| 26   | कृष्णा इन्टरनेशनल, रमनरेती, वृन्दावन  | 24 कि०वा०    |
| <b>स- विद्युत नगरीय वितरण खण्ड तृतीय, मधुरा</b>      |   |              |
| 27   | श्री दीवारा गुप्ता, राधा पुरम एस्टेट, बिरला मन्दिर के पास, मधुरा                    | 230 कि०वा०   |
| 28   | श्री सुदीप अग्रवाल/पप्पन अग्रवाल/राम अग्रवाल, श्री राधा वैली हाइट, हाइवे, मधुरा     | 303 के०वी०ए० |
| 29   | श्री हेमन्त अग्रवाल, अशोका मिटी, गोवर्धन चौराहा, मधुरा                              | 600 कि०वा०   |
| 30   | श्री प्रदीप अग्रवाल, एस०जे०पी० प्लाजा, मण्डो चौराहा के पास, मधुरा                   | 405 कि०वा०   |
| 31   | श्री विभौर अग्रवाल, राधिका विहार कॉलनी, निकट राधिका विहार फेस-2 मधुरा               | 200 कि०वा०   |
| 32   | श्री अशोक कुमार अग्रवाल, गार्डन हाइट, श्री जॉ बाया स्कूल के पास, मधुरा              | 235 कि०वा०   |
| 33   | जमुना धाम, गोवर्धन चौराहा, मधुरा  | 178 कि०वा०   |

उपभोक्ताओं को जागरूक करने के दृष्टिगत अवगत कराना है कि सामान्यतः एकल बिन्दु के संयोजनों में स्वीकृत भार 75 कि०वा० अथवा अधिक होने पर बिलिंग एचवी-13 विधा में की जाती है। बहु बिन्दु पर संयोजन लेने की स्थिति में यह बिलिंग एल०एम०वी०-1 विधा में की जाएगी। वर्तमान में लागू 2009-20 के अनुसार सारणी के अनुसार विद्युत मूल्य देय है :-

| खपत यूनिट | एल०एम०वी० -1 विधा में टैरिफ के अनुसार बिल |                           | एच०वी -13 विधा में टैरिफ के अनुसार |                                |
|-----------|---|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|           | विद्युत मूल्य                             | फिक्स चार्ज+विद्युतकर     | विद्युत मूल्य                      | फिक्स चार्ज+ विद्युतकर         |
| 150       | 825.00                                    | फिक्स चार्ज: ₹ 110        | 1155.00                            | फिक्स चार्ज: ₹ 0               |
| 300       | 1725.00                                   | /कि०वा०/प्रतिमाह विद्युत  | 2310.00                            | 380/कि०वा० /प्रतिमाह           |
| 500       | 3025.00                                   | कर: विद्युत मूल्य एवं     | 3850.00                            | विद्युत कर : विद्युत मूल्य     |
| 1000      | 6525.00                                   | फिक्स चार्ज पर 05 प्रतिशत | 7700.00                            | एवं फिक्स चार्ज पर 7.5 प्रतिशत |

स्पष्ट रूप से 05 कि०वा० संयोजन पर मासिक उपभोग पर लगभग 10 प्रतिशत का फायदा होगा।  
उपर्युक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु आपकी सोसाइटी में शीघ्र ही कैम्प का आयोजन किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कैम्प में उपस्थित होकर इस योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें।  
जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त संतुष्ट होने की अवस्था में आपकी सोसाइटी द्वारा वर्तमान एकल बिन्दु के संयोजन को बहु बिन्दु पर करने हेतु सहमत एवं अन्य नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना अपेक्षित होगा।  
मा० ३०२० विद्युत नियामक आयोग लखनऊ, के 13वें संशोधन के अनुरूप एकल बिन्दु से बहुबिन्दु परिवर्तक पर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुये उपभोक्ता को संयोजन शल्क व मीटर का मूल्य नियमानुसार जमा कराना होगा।